

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज

अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा मनियां धौलपुर

बनाम

सुरेन्द्र कुमार गुर्जर

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 8... सन् 2020
RCMS No. 2020/000 14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
17.03.20	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी किशोर चिलाना प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता श्री सुरेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री तुस्सीराम गुर्जर ग्राम भगवतपुरा पोस्ट कोटपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 26.09.2003 को 1,47,000/- रुपये मात्र राशि का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- अचल सम्पत्ति रहवासी मकान गांव भगवतपुरा व पोस्ट कोटपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज है। जो कि श्री सुरेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री तुस्सीराम गुर्जर के नाम से है, ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2007 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 17.10.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 14,17,700/- दिनांक 15.05.2010 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहे। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान</p>	<p>246-248 18-3-2020</p>

(आरो के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी अचल सम्पत्ति रहवासी मकान गांव भगवतपुरा व पोस्ट कोटपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 133.33 वर्ग गज है। जो कि श्री सुरेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री तुस्सीराम गुर्जर के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला ~~आरु~~ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर